भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 255*

जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया जाना है

**भारी उद्योगों का कार्य-निष्पादन**

**255*. एडवोकेट शरदकुमार मारुति बनसोडे:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भारी उद्योग क्षेत्र के उत्पादन और कार्य-निष्पादन में आ रही गिरावट की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में भारी उद्योग क्षेत्र में आ रही गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने और इस क्षेत्र के और अधिक विकास के लिए इसके पुनर्गठन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री**

**(श्री अनंत ग. गीते)**

**(क) से (ग):** विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

**विवरण**

**"भारी उद्योगों का कार्य-निष्पादन" के बारे में दिनांक 15 मार्च, 2016 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 255* के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) से (ग):** कैपिटल गुड्स उद्योग भारी उद्योग का एक प्रमुख घटक है, जिसमें मशीन टूल्स, वस्त्र मशीनरी, भारी विद्युत उपकरण, अर्थमूविंग और खनन मशीनरी, प्लास्टिक मशीनरी, प्रोसेस प्लांट उपकरण और टूल्स, डाई और ढांचे, मुद्रण मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, धातुकर्म मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र हैं। उद्योग संघों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, देश में तीन वर्षीय 1.1% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (सीएजीआर) पर देश में प्रमुख कैपिटल गुड्स उप क्षेत्रों का उत्पादन लगभग ₹2,30,000 करोड़ का है। अत्याधुनिक तकनीक की कमी, कुशल मानव शक्ति की कमी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, मानकीकरण और परीक्षण सुविधाओं का अभाव भारतीय कैपिटल गुड्स उद्योग के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा, सामान्य तौर पर वैश्विक आर्थिक मंदी ने भी इस क्षेत्र को प्रभावित किया है।

इन मुद्दों का समाधान करने के लिए, सरकार ने ₹581.22 करोड़ के बजटीय परिव्यय से भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की एक योजना शुरू की है। इस योजना में (1) प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (2) एकीकृत औद्योगिक ढांचागत सुविधा अर्थात् औद्योगिक पार्क (3) साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र और (4) परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र की स्थापना करने जैसे ढांचागत घटक हैं तथा इसमें प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण/हस्तातरंण के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय हस्तक्षेप के लिए भी प्रावधान है। इस योजना का ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, सरकार ने घरेलू कैपिटल गुड्स उद्योग की क्षमता का दोहन करने के लिए हाल ही में 15.02.2016 को 'मेक इन इंडिया' के तहत राष्ट्रीय कैपिटल गुड्स नीति शुरू की है। इस नीति का विजन संपूर्ण विनिर्माण गतिविधि को मौजूदा 12% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 20% करने के लिए कैपिटल गुड्स योगदान की हिस्सेदारी में वृद्धि करना है। इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2025 तक कैपिटल गुड्स के उत्पादन को वर्ष 2014-15 में ₹230,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹750,000 करोड़ करने तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को 8.4 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन करने की परिकल्पना की गई है। नीति दस्तावेज भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

*******